रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)--78 REGISTERED No. D-(D)--78

OCT 1978

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 23, 1978 (आश्विन 1, 1900)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 23, 1978 (ASVINA 1, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	759
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1257
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	13
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	907
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	2189
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	2489
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	223
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च मंत्रालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	5407
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	685
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	143
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1549
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	161

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	759
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1257
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	13
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	907
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities other than the Administrations of Union Territories) ..	2189
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2489
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	223
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	5407
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	685
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	143
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1549
PART IV—Advertisements and Notices by Private individuals and Private Bodies	161

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

योजना मंत्रालय

सांख्यिकी विभाग

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 1978

सं० एन० 13011/1/78-रा० प्र० सर्वे-2—सांख्यिकीय विभाग की दिनांक 26 जुलाई, 1978 की अधिसूचना सं० एम० 13011/1/78-रा० प्र० सर्वे० के क्रम में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के कार्यकलाप का विनियमन करने के लिए पहली जुलाई 1978 से 30 जून, 1980 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए शासी परिषद् का सदस्य नियुक्त किया जाता है :—

1. डा० निखिलेश भट्टाचार्य, आचार्य आर्थिक अनुसंधान एकक, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, 203 बी० टी० रोड, कलकत्ता
2. डा० डी० बे० बोस, सदस्य भारतीय सांख्यिकीय संस्थान परिषद 203 बी० टी० रोड, कलकत्ता।
3. श्री बी० बी० दिवातिया, कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली,
4. डा० विमल जालान, आर्थिक सलाहकार, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली
5. श्री आर० एन० शर्मा निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकीय कार्यालय राजस्थान सरकार, जयपुर।

बी० डी० आहूजा, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1978

शुद्धि-पत्र

सं० फा० ए० 11019/18/78-प्रशा० VI—इस विभाग के दिनांक 31 मई 1978/10 ज्येष्ठ, 1900 (शक) के इस संख्या के संकल्प में

के स्थान पर	पढ़े
"1. श्री एस० वेंकटरमन् निरीक्षण निदेशक (सीमाशुल्क तथा उत्पादनशुल्क)"	"1. श्री एम० बी० एन० राव निरीक्षण निदेशक (सीमाशुल्क तथा उत्पादनशुल्क)"
"2. श्री जे० बी० शाह अध्यक्ष, सीमाशुल्क गृह निकासीकर्त्ता एजेन्ट संघ।	"2. अध्यक्ष भारत में सीमाशुल्क गृह एजेन्ट महासंघ।"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि शुद्धि-पत्र की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए और सामान्य जानकारी के लिए इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

रविवत्त शर्मा, अवर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1978

सं० एफ० 3(7)/78-एन० एस०—राष्ट्रपति ने एतद्द्वारा डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधि जमा) नियमावली, 1959, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 19 दिसम्बर, 1958 की अधिसूचना संख्या 3(40) 58—एन० एस० के द्वारा प्रकाशित की गई थी, में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधि जमा) (संशोधन) नियमावली, 1978 कहे जाएंगे।

(2) ये नियम पहली अक्तूबर, 1978 से लागू होंगे।

2. डाकघर बचत बैंक (बढ़ने वाली सावधि जमा) नियमावली, 1959 में —

(I) नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात:—

"5. जमा की रकम

जमा की रकम 5 रुपयों का कोई भी गुणज हो सकती है परन्तु ये रकम कम से कम 10 रुपए और अधिक से अधिक 1000 रुपए होगी और ये रकमें नियम 7 में उल्लिखित सीमाओं के अन्तर्गत होगी बशर्ते कि खाता खोलते समय जो रकम जमा कराई गई हो उसमें खाते की अवधि के दौरान कोई परिवर्तन न किया जाय।",

(II) नियम 6 के उप नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

"(3) उप-नियम (1) में उल्लिखित किसी भी बात के रहते हुए जमाकर्त्ता अपने विकल्प से जमा की रकमों को अग्रिम रूप से भी जमा करवा सकता है और ऐसी जमा कराई गई रकमों पर निम्नलिखित दरों से छूट (रिबेट) दी जायगी, अर्थात्:—

(i) किसी कैलेंडर महीने में 12 महीनों के लिए जमा कराई गई रकम	10 रुपए के मूल्य वर्ग के खाते के लिए 4 रुपए
(ii) किसी कैलेंडर महीने में 6 महीनों के लिए जमा कराई गई रकम	10 रुपए के मूल्य वर्ग के खाते के लिए 1 रुपया

अल्प मूल्य वर्गों के खातों के मामले में, 12 महीनों के लिए जमा कराई गई रकमों अथवा जैसी भी स्थिति हो, किसी कैलेण्डर महीने में 6 महीनों के लिए जमा कराई गई रकमों पर दी जाने वाली छूट की रकम और इस प्रकार की मासिक प्रत्येक जमा रकम की संख्या के सामने विनिर्दिष्ट छूट की रकम का अनुपात वह होगा जो अनुपात संबद्ध मूल्य वर्ग का 10 रुपए से होगा।

अमृत लाल तुली, अवर सचिव

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय

कृषि विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 1978

संकल्प

सं० 7-6/74-एफ० आर० वाई०/एफ० आई० पी० सी०— इस विभाग के 27 जून, 1977 के इसी संख्या के संकल्प के क्रम में, जिसके द्वारा राज्य वन विकास निगमों के लिए एक केन्द्रीय समन्वय समिति गठित की गई थी, अब यह महसूस किया गया है कि काष्ठ निष्कासन शिक्षण केन्द्र परियोजना को भी राज्य वन विकास निगमों की केन्द्रीय समन्वय समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि यह केन्द्र काष्ठ निष्कासन संबंधी औजारों के विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिनसे राज्य वन विकास निगमों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचता है।

2. यह भी महसूस किया गया है कि चूंकि ये निगम प्रस्तावित भारतीय वन प्रबंध संस्थान की प्रमुख व्यवहारी होंगी, जोकि प्रगति सम्बन्धी व्यवहारी प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय समन्वय समिति के मंच का उपयोग करेगा और उनकी समस्याओं के सबंधध में जानकारी हासिल करके इस संस्थान के कार्यक्रम का पुनर्निधारण करेगा, अतः भारतीय वन प्रबंध संस्थान को भी राज्य वन विकास निगमों की केन्द्रीय समन्वय समिति में प्रतिनिधित्व दिया जाए। तदनसार, यह निर्णय किया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना, देहरादून तथा कार्यक्रम अधिकारी, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद को उक्त समिति के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया जाए।

3. अब केन्द्रीय समन्वय समिति का संशोधित गठन निम्नलिखित रूप से होगा :—

1. भारत सरकार के वन महानिरीक्षक	अध्यक्ष
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वन विकास निगमों के प्रबंध निदेशक	सदस्य
3. संयुक्त सचिव (ए० तथा आर० डी०) योजना आयोग नई दिल्ली	सदस्य
4. वन उपमहानिरीक्षक (पी० एम०) कृषि विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
5. निदेशक, समेकित वित्त, कृषि विभाग नई दिल्ली	सदस्य
6. निदेशक, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड बम्बई	सदस्य
7. प्रबंध निदेशक, कृषि वित्त निगम लिमिटेड, बम्बई	सदस्य
8. उप सचिव (आदिवासी विकास) गृह मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
9. विशेष (प्राणि विज्ञान), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी निगम, नई दिल्ली	सदस्य
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, काष्ठ निष्कासन केन्द्र परियोजना, देहरादून	सदस्य
11. कार्यक्रम अधिकारी, भारतीय वन प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद (जोकि इस समय नई दिल्ली में है)	सदस्य
12. प्रबंध निदेशक, कर्नाटक वन उद्योग निगम लिमिटेड, बंगलौर	सदस्य
13. सहायक वन महानिरीक्षक, कृषि विभाग, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

4. समिति के कार्यों तथा कार्य करने के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी सम्बंधित व्यक्तियों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

एन० डी० जयाल, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 अगस्त 1978

संकल्प

सं० यू० 55021/1/78-फैक्ट—मार्च, 1972 में संचार मंत्रालय ने अध्यक्ष इलेक्ट्रानिक्स आयोग और सचिव इलेक्ट्रानिक्स विभाग प्रो० एम० जी० के० मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिसका उद्देश्य संचार मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे अनुसंधान विकास संगठनों की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा करना और इन संगठनों में अनुसंधान के क्षेत्र को बढ़ाने की दृष्टि से ऐसे सुझाव देना था, जिससे दूरसंचार तकनालाजी के क्षेत्र में हो रहे अद्यतन विकास के साथ चलना संभव हो सके। दूरसंचार अनुसंधान समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी, 1978 में दी। समिति का विचार है कि डाक-तार विभाग, विदेश संचार सेवा और अन्य उपयोक्ताओं की दूरसंचार के आयाति उपकरणों की मांग को घटाने के लिए, दूरसंचार के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास एवं उत्पादन पर आधारित विस्तार जरूरी है। दूरसंचार सेवा के लिए लम्बी अवधि की आवश्यकताओं का अनुमान, उपयुक्त तकनालाजियों का चुनाव प्रणालियों/उपकरणों के लिए समयबद्ध कार्यक्रम बनाना, अनुसंधान और विकास कार्यक्रम चलाना ऐसी तकनालाजी का आयात जिसका स्वदेशी विकास, आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त हो और विकसित ज्ञान का उत्पादन में बदलना, आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दृष्टि से आवश्यक है। इसके लिए विकास और अनुसंधानइ उत्पाद-विकास और उसको बड़े पैमाने पर तैयार करने के लिए निश्चित मात्रा में समन्वय स्थापित करना होगा यह समन्वय कार्य ठीक तरह चले, इसलिए समिति ने सिफारिश की है कि, संचार मंत्रालय के अधीन दूरसंचार तकनालाजी विकास, परिषद गठित की जाए।

2. दूरसंचार अनुसंधान समीक्षा समिति की उपर्युक्त सिफारिश के अनुसरण में, संचार मंत्रालय ने दूरसंचार तकनालाजी विकास परिषद् का गठन करने का निश्चय किया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष	1. सचिव, संचार मंत्रालय।
सदस्य	2. सदस्य (दूरसंचार प्रचालन) डाक-तार बोर्ड।
	3. सदस्य (दूरसंचार विकास) डाक-तार बोर्ड।
	4. अध्यक्ष, इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर।
	5. अध्यक्ष, हिन्दुस्तान केबल लिमिटेड, पो० आ० हिन्दुस्तान केबल, जिला बर्दवान (पश्चिम बंगाल)।
	6. अध्यक्ष, हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड, मद्रास।
	7. महानिदेशक, विदेश संचार सेवा, बम्बई।
	8. इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रतिनिधि।
	9. अन्तरिक्ष विभाग के प्रतिनिधि।
	10. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, के प्रतिनिधि।
	11. योजना आयोग के प्रतिनिधि।
सदस्य-सचिव	12. निदेशक, दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।

3. दूरसंचार तकनालाजी विकास परिषद् नीचे लिखे विषयों के लिए उत्तरदायी होगी ।

(1) विभिन्न उपयोक्ताओं से मिली जानकारी के आधार पर संचार मंत्रालय की, दूरसंचार सेवा की तकनीकी आवश्यकताओं के अलावा, दूरसंचार सुविधाओं सम्बन्धी अन्य संगठनों की आवश्यकताओं का समन्वय और अमल की दृष्टि से उपायों का सुझाव, और

(2) विभिन्न अनुसंधान शालाओं और उत्पादन एजेन्सियों में विकसित हो रही तकनीकों का समन्वय ।

4. परिषद की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, और उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता के लिए, दूरसंचार तकनालाजी विकास परिषद् उप समितियों का गठन और इन उप समितियों के लिये सदस्यों का सहयोजन कर सकेगी ।

5. दूरसंचार तकनालाजी विकास परिषद की बैठकें कम से कम तीन महीने में एक बार होंगी । निदेशक, दूरसंचार अनुसंधान केन्द्र, परिषद् के लिए सचिवालय की व्यवस्था करेंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र असाधारण, भाग I अनुभाग 1 में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों : विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों और अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए ।

जितेन्द्र ए० बवे, सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक

सं० पी० टी० टी०-136/78—पिछले कुछ समय से सरकार बम्बई पत्तन पर निरंतर भारी भीड़-भाड़ की समस्या पर विचार कर रही है और यह निश्चय किया गया कि बम्बई पत्तन से अन्य पत्तनों इत्यादि को अधिक से अधिक निर्यात/आयात माल भेजने के लिए ठोस उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किय जाए । तदनुसार सरकार अब एक समिति का गठन करती है, जिनमें निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्य होंगे :—

1. श्री वी० आर० मेहता . . . . अध्यक्ष
विशेष कार्य अधिकारी
नौवहन और परिवहन मंत्रालय

2. श्री ए० जे० एस० सोधी, . . . सदस्य
संयुक्त सचिव,
कृषि और सिंचाई मंत्रालय,
(कृषि विभाग), नई दिल्ली

3. श्री एस० पी० बागला, ... सदस्य
संयुक्त सचिव,
योजना आयोग,
नई दिल्ली ।

4. श्री एस० आर० शाहू, . . . सदस्य
निदेशक (परिवहन)
वाणिज्य मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

5. श्री जी० के० कंचन, ... सदस्य
संयुक्त निदेशक नैगम,
आयोजना (यातायात),
रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड),
नई दिल्ली ।

6. श्री एन० पी० बापत, ... सदस्य
प्रबन्धक (सामान्य ड्यूटी)
बम्बई पत्तन न्यास,
बम्बई ।

7. श्री जे० दत्ता . . . . सदस्य
सीमाशुल्क ससाहर्त्ता,
बम्बई ।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित है :—

(क) बम्बई से निर्यात/आयात माल अन्यत्र भेजने की संभावनाओं की खोज करना । समिति को पत्तनों तथा अन्तर्देशीय केन्द्रों दोनों में भूमि परिवहन सुविधाओं और कंटेनर धराउठाई सुविधाओं सहित अवस्थापना एवं अन्य संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था के लिए उपाय बताने चाहिए, जिनकी आवश्यकता निर्दिष्ट पत्तनों को माल की अधिक मात्रा की कुशलतापूर्वक धराउठाई करने में होगी ।

(ख) क्रियाविधि संबंधी तथा अन्य संबंधित उपायों का सुझाव देना जिनका उपयोग सीमाशुल्क विभाग, पत्तन और अन्य संबंधित प्राधिकरण करेंगे ताकि निर्दिष्ट पत्तनों पर माल के शीघ्र निरीक्षण और निर्यात/आयात पोतलदानों से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने में सुविधा हो सके ।

(ग) वृद्धि संबंधी और उत्साहवर्धक योजनाओं तथा अन्य किसी उपाय का सुझाव देना जिन्हें निर्दिष्ट पत्तनों के माध्यम से निर्यात/आयात माल को भेजने और उसका विकास करने में अपनाया जाए ।

3. समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीनों की अवधि में भीतर अर्थात् 30 नवम्बर, 1978 तक दे देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में आम सूचना के लिए प्रकाशित की जाए और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा सभी राज्य सरकारों को भी भेजी जाए ।

ए० पद्मनाभन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PLANNING

DEPARTMENT OF STATISTICS

New Delhi-110001, the 31st August 1978

No. M. 13011/1/78-NSS.II.—In continuation of the Department of Statistics Notification No. M-13011/1/78-NSS.II dated the 26th July, 1978 the following are also appointed as Members of the Governing Council for governing the activities of the National Sample Survey Organisation for a period of two years from the 1st July, 1978 to the 30th June, 1980 :—

1. Dr. Nikhilesh Bhattacharya, Professor, Economic Research Unit, ISI, 203 B.T. Road, Calcutta.
2. Dr. D. K. Bose, Member of the ISI Council, 203 B.T. Road, Calcutta.
3. Shri V. V. Divatia, Executive Director, Reserve Bank of India, New Delhi.
4. Dr. Bimal Jalan, Economic Adviser, Ministry of Industry, New Delhi.
5. Shri R. N. Sharma, Director, Bureau of Economics & Statistics, Government of Rajasthan, Jaipur.

V. D. AHUJA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 31st July 1978

CORRIGENDUM

F. No. A. 11019/18/78-Ad.IV.—In this Department's Resolution of even number dated 31st May, 1978/10 Jyaistha, 1900 (Saka) :

for

"1. Shri S. Venkataraman, Director of Inspection (Customs & Central Excise)".

"9. Shri J. B. Shah, Chairman, Custom House Clearing Agents' Association".

read

"1. Shri M. V. N. Rao, Director of Inspection (Customs and Central Excise)".

"9. President, Federation of Custom House Agents' Associations in India".

ORDER

Ordered that a copy of the Corrigendum be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. D. SHARMA, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 28th August 1978

No. 3(7)/78-NS.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. 3(40)58-NS, dated the 19th December, 1958, namely :—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) (Amendment) Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the 1st day of October, 1978.

2. In the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959—

(i) for Rule 5, the following shall be substituted, namely :—

"5. *Amount of Deposit* :

The amount of deposit shall be any multiple of Rs. 5, subject to a minimum of Rs. 10 and maximum of Rs. 1000 and shall be subject to the limits specified in Rule 7, provided that the amount of deposit made at the time of opening the account shall not be varied during the currency of the account.";

(ii) for sub-rule (3) of Rule 6, the following shall be substituted, namely :—

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), deposits may also be made in advance at the option of the depositor and rebates will be admissible on such deposits at the following rates, namely :—

(i) For 12 monthly deposits made in any calendar month.—Rs. 4.00 for an account of Rs. 10/- denomination.

(ii) For 6 monthly deposits made in any calendar month.—Rs. 1.00 for an account of Rs. 10/- denomination.

In the case of accounts of other denominations, the amount of rebate in the case of 12 monthly deposits or as the case may be, 6 monthly deposits made in any calendar month, shall be in such proportion to the amount of rebate specified above against each such number of monthly deposits as the denomination bears to Rs. 10."

A. L. TULI, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

New Delhi, the 29th August 1978

RESOLUTION

No. 7-6/74-FRY/FIPC.—In continuation of this Department's Resolution of even number dated the 27th June, 1977 constituting a Central Coordination Committee for State Forest Development Corporations, it has now been felt that Logging Training Centre Project being actively involved in development of Logging tools and training programme which are of direct benefits to the State Forest Development Corporations, may also be represented on the Central Coordination Committee for State Forest Development Corporations.

2. It has been further felt that since the Corporations are going to be one of the major clients of the proposed Indian Institute of Forest Management which will utilise the forum of the Central Coordination Committee to acquaint the client system on the progress and get feed back from to reorient the programme of this Institute, the Indian Institute of Forest Management may also be represented in the Central Coordination Committee on State Forest Development Corporations. Accordingly, it has been decided that Chief Executive Officer, Logging Training; Centre Project Dehra Dun and the Programme Officer, Indian Institute of Forest Management Ahemdabad may be included as a members of the said Committee.

3. Now the revised composition of the Central Coordination Committee for State Forest Development Corporations will be as follow :

Chairman

1. Inspector General of Forests, Govt. of India, New Delhi.

Members

2. Managing Directors of States/UTs Forest Development Corporations.
3. Joint Secretary (A&RD) Planning Commission New Delhi.
4. Dy. Inspector General of Forests (PM), Deptt. of Agriculture, New Delhi.
5. Director, Integrated Finance, Deptt. of Agriculture New Delhi.

6. Director, Agriculture Refinance & Development Corporation Ltd., Bombay.

7. Managing Director, Agriculture Finance Corporation Ltd. Bombay.

8. Dy. Secretary (Tribal Dev) Ministry of Home Affairs, New Delhi.

9. Specialist (Life Sciences) Deptt. of Science & Technology, New Delhi.

10. Chief Executive Officer, Logging Training Centres Project, Dehradun.

11. Programme Officer, Indian Institute of Forest Management, Ahmedabad.

12. Managing Director, Karnataka Forest Industries Corporation Ltd., Bangalore.

Member Secy.

13. Assistant Inspector General of Forests, Department of Agriculture, New Delhi.

4. The functions and Rules of Business of the Committee will remain unchanged.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution may be communicated to all concerned.

Also ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for General information.

N. D. JAYAL, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi-110001, the 21st August 1978

RESOLUTION

No. U. 55021/1/78-Fac.—In March 1972, the Ministry of Communications had set up a Committee under the Chairmanship of Prof. M. G. K. Menon, Chairman, Electronics Commission and Secretary, Department of Electronics, to undertake a comprehensive review of the position prevailing in the various research and development organisations under the Ministry of Communications, and to recommend steps for widening the scope of research in these organisations, to ensure that they keep pace with the latest developments in the telecommunication technology. The Telecommunication Research Review Committee submitted its Report in January, 1978. The Committee has observed that in the field of telecommunications it is necessary to widen the R&D and production base in order to cut down imports of telecommunication equipment by P&T, Overseas Communications Service and the various other users. Long term projections of the requirements of telecommunication services, identification of appropriate technologies, time bound programmes for undertaking R&D in respect of systems/equipment, import of technologies where indigenous development would not be cost-effective and transfer of the developed know-how to production are part of the process of achieving self reliance. To ensure this, a certain amount of coordination is required for R&D, production development and large scale manufacture. For bringing about proper coordination the Committee have recommended the setting up of a Telecommunication Technology Development Council (TTDC) under the aegis of the Ministry of Communications.

2. In pursuance of the above recommendation of the Telecommunication Research Review Committee, the Ministry of Communications have decided to constitute the Telecommunication Techology Development Council (TTDC) with the following membership :—

Chairman

1. Secretary, Ministry of Communicatione.

Members

2. Member (TO), P&T Board.

3. Member (TD), P&T Board.

4. Chairman, Indian Telephone Industries Ltd., Bangalore.

5. Chairman, Hindustan Cables Ltd., P.O. Hindustan Cables, Distt. Burdwan, (West Bengal).

6. Chairman, Hindustan Teleprinters Ltd., Madras.

7. Director General, Overseas Communications Service, Bombay.

8. Representative of Department of Electronics.

9. Representative of Department of Space.

10. Representative of Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence.

11. Representative of the Planning Commission.

Member-Secy.

12. Director, Telecommunication Research Centre, New Delhi.

3. The Telecommunication Technology Development Council shall be responsible for :—

(i) coordinating the technological requirements of the telecommunication services of the Ministry of Communications as well as for the telecommunication facilities required by other organisations on the basis of information provided by the various users and advising on ways and means of implementation; and

(ii) coordinating the development of these techniques in the various laboratories and production agencies.

4. It will be open to the Telecommunication Technology Development Council to constitute Sub-Committees and to co-opt members to these Sub-Committees, in order to assist them to achieve the objectives mentioned in para 3 above, taking into consideration the requirements of the Council.

5. The Telecommunication Technology Development Council will meet at least once in a quarter. The Secretariat for the Council will be provided by the Director (TRC).

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, Public Sector Undertakings, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

J. A. DAVE
Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT
(TRANSPORT WING)

New Delhi, the 31st August 1978

RESOLUTION

No. PTT-136/78.—The problem of continued severe congestion at Bombay Port was engaging the attention of Government for sometime past and it was decided that a committee should be constituted to suggest concrete measures for maximising the diversion of Export/Import Cargo from Bombay to other ports etc. Accordingly the Government now set up a Committee with the following as Chairman and Members :—

Chairman

1. Shri V. R. Mehta,
Officer on Special Duty,
Ministry of Shipping & Transport.

Members

2. Shri A. J. S. Sodhi, Joint Secretary,
Ministry of Agriculture and Irrigation,
(Deptt. of Agriculture),
New Delhi.

3. Shri S. P. Bagla, Joint Secretary,
Planning Commission, New Delhi.

4. Shri S. R. Shah, Director (Transport),
Ministry of Commerce, New Delhi.

5. Shri G. K. Kanchan, Joint Director,
Corporate, Planning (Traffic),
Ministry of Railways (Railway Board),
New Delhi.

6. Shri N. P. Bapat, Manager (General Duties),
Bombay Port Trust,
Bombay.

7. Shri J. Datta, Collector of Customs,
Bombay.

2. The terms of reference of the Committee are as follows :—

(a) To explore the possibilities of diversion of export/import of cargoes from Bombay. The Committee should identify measures for provision of infrastructure and allied facilities including surface transportation facilities and container handling facilities both at ports as well as inland centres, that would be required to enable the identified pors to handle increase quantum of traffic efficiently.

(b) To suggest procedural and allied measures required to be taken by the Customs, Port and other concerned authorities for facilitating expeditious inspection of consignments and processing of documents pertaining to export/import shipments at the identified ports.

(c) To suggest promotional and incentive schemes as also any other measures which should be adopted to divert and develop export/import traffic through the identified ports.

3. The Committee would submit its report within a period of three months i.e. upto 30th November, 1978.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be published in the Gazetted of India for general information and communicated to all Ministries of Government of India and all State Governments.

A. PADMANABAN
Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1978